

फर्द अहकाम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

हजारी

बनाम

भजन वगै०

किस्म दावा

मुकदमा नं०.....०३...../2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
20.01.2026	यह दावा अन्तर्गत धारा 188 रा.टी. एक्ट वादी की ओर से श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2026 को पेश हो।	303-06
19/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादी स० की ओर से एडवोकेट सतीश चन्द शर्मा ने पत्रावली पेश किया जिसमें पत्रावली किमा गया किमो उपस्थित है। प्रतिवादी को 2004 का कानून द्वारा उपस्थित नहीं कर उनके विरुद्ध एक लम्बा कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्तु पत्रावली प्रतिवादी को 1 दिनांक 24/26 को पेश है।	मजिस्ट्रेट
2.4.26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित है। वकील वादी इस वाद को छोड़ने नहीं चाहते है और इसी लिए वास्तु Non-Process के कार्रवाई करे का निवेदन किया है। अतः पत्रावली इसी लिए वा Non-Process कार्रवाई की जाती है पत्रावली की पत्रावली को छोड़ वास्तु से का है एवं वास्तुवादी को डाकिल देकर है। उप जिला कलेक्टर वजीरपुर	Note press मजिस्ट्रेट

